माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली के समक्ष

डॉ. स्वरां शर्मा — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, — उत्तरदाता

C.W.P नंबर 12339 / 2005

29 अगस्त, 2007

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, जिला शाखा, यमुनानगर कर्मचारी नियम 2002—याचिकाकर्ता को रेड क्रॉस सोसाइटी में डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया–58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति–2002 नियमों में प्रावधान है कि सोसाइटी एक कर्मचारी को अपने पास रख सकती है 58 वर्ष से अधिक की आयु से 60 वर्ष की आयु तक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से - सोसायटी ने याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने की अनुमति दी और उसकी सेवाओं को 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाने की सिफारिश की - निदेशक ने सूचित किया कि 58 से अधिक की सेवा में बने रहने की स्थिति में सरकार द्वारा कोई वेतन नहीं दिया जाएगा और सोसायटी ऐसे कर्मचारी के संबंध में खर्च वहन करेगा - प्रतिवादियों ने 58 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को वेतन देने से इनकार कर दिया और गलत तरीके से दिए

गए चयन ग्रेड के कारण वसूली भी की - इसे चुनौती - सोसायटी स्वयं सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्ता को बनाए रखना, वेतन और अन्य भत्ते का भुगतान करना और सरकार को उसके मामले की सिफारिश करना - याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलत बयानी नहीं - चूंकि याचिकाकर्ता ने रोजगार की विस्तारित अवधि के दौरान कर्तव्यों का पालन किया, वह उस अवधि के लिए वेतन पाने की हकदार है - चयन ग्रेड जारी करना खाते में नहीं है याचिकाकर्ता के कारण हुई किसी भी धोखाधड़ी के लिए - वेतन के कथित अतिरिक्त भुगतान के कारण 15 साल की अवधि के बाद किसी भी वसूली को प्रभावित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई कानून में टिकाऊ नहीं है - याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के सभी लाभों का भी हकदार माना गया है जो राज्य सरकार के तहत कर्मचारियों को उपलब्ध हैं -याचिका स्वीकार की गई।

प्रतिवादी सोसायटी ने सेवानिवृत्ति के बाद भी उसे सेवा में बनाए रखा, वेतन और अन्य भत्ते देना जारी रखा और राज्य सरकार को उसके मामले की सिफारिश की। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सोसायटी ने स्वयं और याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी गलत बयानी के बिना उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी। ऐसा तभी हुआ जब निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ने सोसायटी को सूचित किया कि विस्तार की स्थिति में, सोसायटी

को याचिकाकर्ता की सेवा में बनाए रखने का खर्च वहन करना होगा, याचिकाकर्ता का विस्तार समाप्त कर दिया गया और उसे 10 फरवरी, 2005 को सेवानिवृत्त कर दिया गया।. चूंकि याचिकाकर्ता ने रोजगार की विस्तारित अवधि के दौरान कर्तव्यों का पालन किया है, वह इस अवधि के लिए वेतन पाने की हकदार है। (पैरा 7)

जहां तक सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के भुगतान के अन्य पहलुओं का सवाल है, याचिकाकर्ता ने संकल्प संख्या 5 को रिकॉर्ड पर लाया है। उत्तरदाताओं ने ऐसे संकल्प को पारित करने के साथ-साथ अपनाने से भी इनकार नहीं किया है। सोसायटी द्वारा अपनाए गए संकल्प संख्या 5 में छुट्टी और यात्रा के सभी भत्तों और वेतनमान के भुगतान का प्रावधान है। संकल्प संख्या 5 के मद्देनजर, याचिकाकर्ता राज्य सरकार के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले सभी सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार है। इसलिए, याचिकाकर्ता भुगतान और ग्रेच्युटी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी, राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए गए अवकाश नकदीकरण और भविष्य निधि योगदान का भी हकदार है। (पैरा 7 एवं 8)

याचिकाकर्ता को 1 मई, 1989 से कथित अतिरिक्त वेतन निकालने की अनुमति दी गई थी और उसका वेतन तदनुसार तय किया गया था। उन्हें

अपनी सेवानिवृत्ति यानी 10 फरवरी, 2005 तक चयन ग्रेड मिलता रहा। जिस अवधि में वह सेवा में थीं, उस दौरान कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और न ही उनसे कोई वसूली की मांग की गई। उत्तरदाताओं का मामला यह नहीं है कि चयन ग्रेड याचिकाकर्ता के पक्ष में किसी धोखाधड़ी के कारण जारी किया गया था। (पैरा 8)

पुनीत जिंदल, *याचिकाकर्ता के लिए.*

म. एस. सिंधु, डीएजी हरियाणा, *प्रतिवादी सं.* 1 के लिए

राजेश खुराना, *प्रतिवादी सं. 2* के लिए

माननीय प्रमोद कोहली

1) याचिकाकर्ता को सचिव, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, अंबाला द्वारा परिवार कल्याण योजना केंद्र, यमुनानगर के लिए 25 जून, 1975 से एक महिला डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था, नियुक्ति पत्र दिनांक 25 जून, 1975 के माध्यम से। उसकी नियुक्ति 10 फरवरी, 2005 तक जारी रहा जब याचिकाकर्ता अंततः सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। यह विवाद में नहीं है कि प्रासंगिक समय में रेड क्रॉस सोसाइटी में सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि 58 वर्ष थी। सोसायटी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी और सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन,

जिला शाखा, यमुनानगर स्टाफ नियम 2002 नामक नियम बनाए और अपनाए, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रदान करते हैं।

"सुपरनेशन एंड रिटायरमेंट :

1 1. एक कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा। हालाँकि, यदि उसका प्रदर्शन संतोषजनक है और वह शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे 60 वर्ष की आयु तक काम करने की अनुमति दी जा सकती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना 60 वर्ष से अधिक का कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा:

बशर्ते कि कोई कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले, 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, और ऐसा करने के अपने इरादे की 3 महीने की स्पष्ट सूचना देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। उस स्थिति में, वह अपनी सेवा अवधि के अनुसार नियमों के तहत स्वीकार्य लाभों का हकदार होगा:

बशर्ते कि किसी कर्मचारी को, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपना नोटिस वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है।

उन कर्मचारियों को छोड़कर जिनकी जन्मतिथि महीने की पहली तारीख को पड़ती है, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख उस महीने के आखिरी दिन की दोपहर होगी, जिसमें उनकी सेवानिवृत्ति की वास्तविक

तारीख के बजाय उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख पड़ती है। उन कर्मचारियों के मामले में जिनकी जन्म तिथि महीने की पहली तारीख को पड़ती है, सेवानिवृत्ति की तारीख उनकी जन्म तिथि पड़ने वाले महीने से पहले वाले महीने के अंतिम दिन की दोपहर होगी।

(2) 12. And l3.xxx xxxx xxxx xxxx

(3) 14. सोसायटी/एसोसिएशन के कर्मचारी छुट्टी के हकदार हरियाणा सरकार के अवकाश नियमों के अनुसार होंगे "

(2) इन नियमों को देखने से पता चलता है कि सोसायटी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से 58 वर्ष से अधिक आयु के किसी कर्मचारी को 60 वर्ष की आयु तक बनाए रख सकती है। याचिकाकर्ता ने 31 अक्टूबर, 2004 को सेवानिवृत्ति की आयु यानी 58 वर्ष प्राप्त कर ली। हालांकि, सोसायटी ने याचिकाकर्ता को जारी रखा और उसकी सेवाओं को 60 वर्ष की आयु तक बढ़ाने की सिफारिश निदेशक स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा से की। ऐसा प्रतीत होता है कि सोसायटी को अनुदान सहायता मिल रही थी और उसने निदेशक स्वास्थ्य सेवा, हरियाणा से अनुमोदन लेना उचित समझा। निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, ने अपने पत्र दिनांक 9 फरवरी, 2005 द्वारा समाज को सूचित किया कि यदि किसी कर्मचारी को 58 वर्ष से अधिक आयु में सेवा में रखा जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा कोई वेतन नहीं दिया

जाएगा और ऐसे कर्मचारी के संबंध में व्यय सोसायटी वहन करेगा. यह निर्णय याचिकाकर्ता को 10 फरवरी 2005 को सूचित किया गया।

(3) याचिकाकर्ता ने 2005 के सीडब्ल्यूपी संख्या 6001 में वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद के अन्य लाभों के भुगतान के लिए निर्देश की मांग करते हुए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया, इस अदालत की एक खंडपीठ ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ इस रिट याचिका का निपटारा किया: -: —

" याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद, हम इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी नंबर 2 को निर्देश देते हुए करते हैं कि तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अभ्यावेदन अनुलग्नक पी-5, पी-8 और पी-9 पर निर्णय लें। इस आदेश की प्रमाणित प्रति उन्हें दी जाये। यदि याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार किया जाना है, तो प्रतिवादी को एक स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा और याचिकाकर्ता को इसकी सूचना देनी होगी।"

(4) 12 अप्रैल, 2005 के पूर्वोक्त फैसले में इस न्यायालय के निर्देशों को आगे बढ़ाते हुए, उत्तरदाताओं ने 4 जुलाई, 2005 को आदेश पारित किया है, जिसमें 58 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के वेतन को कम कर दिया गया है। हालाँकि, सीपीएफ राशि का दावा इस शर्त के साथ स्वीकार किया गया था कि वेतनमान में विसंगति के कारण वसूली, यदि कोई हो, में कटौती की जाएगी। निदेशक स्वास्थ्य सेवा ने सचिव,

रेड क्रॉस सोसाइटी को दिनांक 9 फरवरी, 2005 को एक पत्र भी जारी किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता की परिलब्धियों से इस आधार पर वसूली का आदेश दिया गया है कि याचिकाकर्ता को रुपये 4,100—5,300 को दिया गया चयन ग्रेड 1 मई, 1989 से प्रभावी जबकि यह वेतनमान 1 जनवरी, 1998 से स्वीकार्य था। यह ग्रेड कैडर पदों पर कार्यरत केवल 20% अधिकारियों को देय है। केंद्र में चिकित्सा अधिकारी का केवल एक पद है जिसके लिए यह ग्रेड स्वीकार्य नहीं है। इस पत्र में आगे संकेत दिया गया है कि याचिकाकर्ता 1 जनवरी, 1996 के बजाय 1 जनवरी, 1998 से एसीपी लाभ का हकदार है। याचिकाकर्ता उपरोक्त दो संचार यानी 9 फरवरी, 2005 से व्यथित है, जिससे वसूली की मांग की गई है। उनका और पत्र दिनांक 4 जुलाई, 2005 का है, जिसके तहत वेतन निर्धारण के संबंध में उनका दावा खारिज कर दिया गया है।

(5) याचिकाकर्ता ने सोसायटी द्वारा पारित संकल्प संख्या 5 को रिकॉर्ड पर लाया है जिसमें सोसायटी के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू दंड और अपील नियमों द्वारा शासित किया जाना है। इसी प्रकार, सोसायटी के कर्मचारी भी छुट्टी और यात्रा भत्ते के हकदार हैं जैसा कि हरियाणा सरकार में प्रचलित है और यहां तक कि कर्मचारियों को देय वेतनमान भी वही है जो हरियाणा राज्य के लिए है। याचिकाकर्ता के दावे का हरियाणा राज्य और सोसायटी द्वारा 4 जुलाई, 2005 के विवादित आदेश और 9 फरवरी, 2005 के पत्र में बताए गए आधार पर विरोध किया गया है।

(6) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है।

(7) याचिकाकर्ता के पास दो प्रकार के दावे हैं; एक वेतन 1 नवंबर, 2004 से 10 फरवरी, 2005 तक की अवधि के लिए, वह अवधि जब याचिकाकर्ता 58 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बना रहा और दूसरा; उसकी सेवानिवृत्ति के बाद की बकाया राशि की वसूली। इस अवधि के दौरान याचिकाकर्ता से काम कराया गया। उत्तरदाताओं ने उससे काम छीन लिया है। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता अपनी ओर से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, और/या गलत बयानी के कारण 58 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बनी रही। इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के सोसायटी ने सेवानिवृत्ति के बाद भी उसे बरकरार रखा, वेतन और अन्य भत्ते देना जारी रखा और राज्य सरकार को उसके मामले की सिफारिश की। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सोसायटी ने स्वयं और याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी गलत बयानी के बिना उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी। ऐसा तभी हुआ जब निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा ने सोसायटी को सूचित किया कि सोसायटी को याचिकाकर्ता की सेवा में बनाए रखने का खर्च वहन करना होगा, याचिकाकर्ता का विस्तार समाप्त कर दिया गया और उसे सेवानिवृत्त कर दिया गया 10 फरवरी, 2005 को। चूंकि याचिकाकर्ता ने रोजगार की विस्तारित अवधि के दौरान कर्तव्यों का पालन किया है, इसलिए वह इस अवधि के लिए वेतन पाने की हकदार है। जहां तक सेवानिवृत्ति के बाद लाभ के भुगतान के अन्य पहलुओं का सवाल है, याचिकाकर्ता ने संकल्प संख्या 5 को रिकॉर्ड में लाया है। उत्तरदाताओं ने ऐसे संकल्प को पारित करने के साथ-साथ अपनाने से भी इनकार नहीं किया है। सोसायटी द्वारा उठाई गई एकमात्र आपत्ति यह है कि याचिकाकर्ता एक परियोजना पर सेवारत था और वह परियोजना की योजना की सेवा शर्तों द्वारा शासित है। इस परियोजना के तहत, वह

राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय अवकाश वेतन, ग्रेच्युटी या किसी अन्य सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ की हकदार नहीं है। याचिकाकर्ता की नियुक्ति का आदेश आईएस फरवरी, 1975 के नियमों और शर्तों को संदर्भित करता है। किसी भी पक्ष ने यह पत्र रिकॉर्ड पर नहीं रखा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें क्या थीं। सोसायटी द्वारा अपनाए गए संकल्प संख्या 5 में छुट्टी और यात्रा के सभी भत्तों और वेतनमान के भुगतान का प्रावधान है।

(8) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उत्तर के पैरा 6 का उल्लेख किया है जिसमें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, जिला शाखा (यमुना नगर), स्टाफ नियम, 2002 का संदर्भ दिया गया है। उल्लेख किया गया है कि रेड क्रॉस, यमुनानगर की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं, जो रेड क्रॉस सोसाइटी, यमुनानगर के लिए हरियाणा सरकार या भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान सहायता से संचालित होंगी, नियमों द्वारा शासित होंगी। अनुदान सहायता योजना के तहत कर्मचारियों की सेवाओं की इसमें आगे स्पष्ट किया गया है कि जब तक अनुदान मौजूद रहेगा, उनकी सेवाएँ जारी रहेंगी। यह नियम किसी भी तरह से याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों से वंचित नहीं करता है जिसका दावा उसके द्वारा किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, 1 नवंबर, 2004 से 10 फरवरी, 2005 तक की अवधि के लिए वेतन, भविष्य निधि का दावा किया है और कथित अतिरिक्त वेतन की वसूली के लिए उत्तरदाताओं की कार्रवाई को भी चुनौती दी है। संकल्प संख्या 5 के मद्देनजर, याचिकाकर्ता राज्य सरकार के तहत

कर्मचारियों को मिलने वाले सभी सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का हकदार है। इसलिए, याचिकाकर्ता भुगतान और ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी, राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिए गए अवकाश नकदीकरण और भविष्य निधि योगदान का भी हकदार है। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता ने भविष्य निधि में योगदान दिया है। इसलिए, याचिकाकर्ता को ऐसे योगदान पर देय वैधानिक ब्याज के साथ भुगतान किया जाना है। दूसरा विवाद 9 फरवरी, 2005 के पत्र के संदर्भ में है जिसमें याचिकाकर्ता की परिलब्धियों से कुछ वसूली करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता को 1 मई, 1989 से कथित अतिरिक्त वेतन निकालने की अनुमति दी गई थी और उसका वेतन तदनुसार तय किया गया था। वह अपनी सेवानिवृत्ति यानी 1 फरवरी, 2005 तक चयन ग्रेड प्राप्त करती रहीं। जिस अवधि में वह सेवा में थीं, उस दौरान कभी भी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई और न ही उनसे कोई वसूली की मांग की गई। उत्तरदाताओं का मामला यह नहीं है कि चयन ग्रेड याचिकाकर्ता के पक्ष में किसी धोखाधड़ी के कारण जारी किया गया था। यह मुद्दा अब समग्र नहीं रह गया है और इसका निष्कर्ष ***साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य और अन्य*** के रूप में उद्धृत फैसले में दिया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है: —

> " अपीलकर्ता के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता छूट का हकदार नहीं होगा। प्राचार्य ने उन्हें छूट देकर गलती की। छूट की तिथि के बाद से अपीलकर्ता को संशोधित वेतनमान पर वेतन का भुगतान किया गया था। हालाँकि,

यह अपीलकर्ता द्वारा की गई किसी गलत बयानी के कारण नहीं है कि उसे उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया है, बल्कि प्रिंसिपल द्वारा किए गए गलत निर्माण के कारण है जिसके लिए अपीलकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इन परिस्थितियों में अपीलकर्ता से अब तक भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जा सकेगी। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित वेतनमान पर लागू नहीं होगा। अपील को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के आंशिक रूप से अनुमति दी गई है।"."

(9) ***करनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य*** मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा इस फैसले का पालन किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों और शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, वेतन के कथित अतिरिक्त भुगतान के कारण याचिकाकर्ता से किसी भी तरह की वसूली करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई भी कानून में टिकाऊ नहीं है।

(10) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने रेड क्रॉस सोसाइटी के खिलाफ रिट याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाया है। हालाँकि, इस मुद्दे का फैसला इस अदालत की डिवीजन बेंच द्वारा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, सिरसा बनाम राधा किशन राजपाल और अन्य (3) में किया गया है। डिवीजन बेंच के फैसले

के मद्देनजर, जो इस न्यायालय पर बाध्यकारी है, यह प्रारंभिक आपत्ति मान्य नहीं है।

(11) उपरोक्त कारणों से, यह याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाताओं को 1 नवंबर, 1994 से 10 फरवरी, 2005 तक की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। वह हरियाणा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमत छुट्टी नकदीकरण के साथ-साथ ग्रेच्युटी और भविष्य निधि की भी हकदार है। नियमों और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार। भविष्य निधि और ग्रेच्युटी पर वैधानिक ब्याज लगेगा। चूंकि उत्तरदाताओं द्वारा वेतन और अवकाश नकदीकरण अवैध रूप से रोक दिया गया है, याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 10 फरवरी, 2005 से एक महीने की समाप्ति के बाद देय राशि पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भी हकदार है। वास्तव में राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रतिवादियों को कथित अतिरिक्त भुगतान के कारण याचिकाकर्ता की परिलब्धियों से कोई भी वसूली करने से भी रोका गया है। आज से तीन महीने की अवधि के भीतर सभी दावों का निपटारा और भुगतान किया जाए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
पलवल, हरियाणा